संख्याः 204 / XX-1 / 12–5(27) / 10

प्रेषक

उत्पल कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में

पुलिस महानिदेशक
पुलिस मुख्यालय,
देहरादून

गृह अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः–13 मार्च, 2012

विषयः–"पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना" वर्ष 2011–12 के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया, पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्याः डीजी–दो–45–2011 दिनांक 12 जनवरी, 2012 के कम में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्याः VI-21011/19/2011-PM-I दिनांक 29 दिसम्बर, 2011 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना" वर्ष 2011–12 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा Part-A में अनुमोदित / स्वीकृत केन्द्रांश रूपये 560.25 लाख तथा राज्यांश रूपये 186.75 लाख, कुल रूपये 747 लाख के सापेक्ष, "पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना" के संचालन हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार कुल रूपये 343.15 लाख(रूपये तीन करोड़ तेतालीस लाख पन्द्रह हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत करते हुये व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

क.सं.	मानक मद	धनराशि(रूपये हजार में)
1	14–कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों / मोटर गाड़ियों का कय	18675
2	26–मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयन्त्र	15640
	योगः–	**34315**

2– उक्त स्वीकृति निम्न शर्तों / प्रतिबन्धों के अन्तर्गत होगीः–

(1) वाहन कय हेतु स्वीकृत धनराशि रूपये 186.75 लाख में 07 मोटर साईकिलों के लिये रूपये 3.50 लाख की धनराशि होमगार्डस् से सम्बन्धित है। अतः वाहनों का कय महानिदेशक होमगार्ड के साथ समन्वय बनाकर उनके उपयोगार्थ कय किये जायेंगे अथवा उक्त धनराशि उन्हे उपरोक्त उद्देश्य हेतु उपलब्ध करा दी जायेगी।

(2) कय / अधिप्राप्ति की कार्यवाही "उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008" में की गई व्यवस्था के अनुसार की जायेगी।

(3) एक बार में उतनी ही धनराशि का आहरण किया जाय जितनी की तात्कालिक आवश्यकता हो।

(4) धनराशि का व्यय करते समय भारत सरकार की स्वीकृति व इस सम्बन्ध में उनके द्वारा निर्गत समस्त दिशा–निर्देशों व शर्तों का अनुपालन किया जायेगा तथा मात्र वही वाहन/उपकरण आदि क्रय किये जायेंगे जिनका अनुमोदन/स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गयी हो।

(5) शासन द्वारा समय–समय पर जारी मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा शासकीय धन के आहरण सम्बन्धी दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जाय।

(6) स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं उपयोगिता की सूचना निर्धारित प्रपत्र पर भारत सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध करायी जाय।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–2012 के अनुदान संख्या–10 के लेखाशीर्षक 2055–पुलिस, 115–पुलिस बल का आधुनिकीकरण, 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना(50 प्रतिशत), 0101–भारत सरकार से प्राप्त विशेष उन्नयन अनुदान के मानक मद 14–कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय तथा 26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयन्त्र के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः–244/NP/XXVII(5)/20112 दिनांक 29 फरवरी, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(उत्पल कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून।
2. प्रधान महालेखाकार कार्यालय(ऋण अनुभाग) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. अवर सचिव(पी.एम.–I), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, जैसलमेर हाउस, नई दिल्ली।
4. महासमादेष्टा, होमगार्डस् उत्तराखण्ड देहरादून।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. बजट अधिकारी, बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग–05/गृह अनुभाग–03 उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव